

E-1199893/2016/11
28/9/16

सेवा में,

श्रीमान् जनसुचना अधिकारी/ केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय,
भारत सरकार- नई दिल्ली ।

विषय :- जन सुचना अधिकार अधिनियम -2005 के अर्न्तगत सुचनाओं
उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सविनय अवगत कराना है कि प्रार्थी को आपके कार्यालय से सम्बन्धित
सुचनाओं की त्वरित आवश्यकता है जिनका विवरण निम्नलिखित है । अधि-
नियम में वर्णित व्यवस्थानुसार शुल्क 10/-रु० का प्रा०यो०आ० सं०-34एफ-

~~536640~~ मूल रूप में संलग्न है:-
890533 दिनांक 22-9-16

1- क्या सन०एच-86 पर माह जून/2016 शम्भुजा अवर के बनेप्लाई ओवर
के पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण उस पर आवागमन कितने दिन तक बाधित
रहा?

2- क्या उक्त पुल के क्षतिग्रस्त होने की अवधि के दौरान सन०एच-86 पर
सप्लेटी पर बने टोल टैक्स पर वाहनों से टोल टैक्स की वसूली की गयी?

3- क्या इस प्रकार से प्लाई ओवर या सड़क के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद
टोल टैक्स वसूली कितने नियम या कानून के अर्न्तगत की गयी है विवरण देने
की कृपा करें।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी को उपरोक्त 3
बिन्दुओं पर 15 दिनों के अन्दर अविलम्ब सुचना देने की कृपा करें तथा अपने
प्रथम अपीलिय अधिकारी का नाम, पद व पता देने की लिखित रूप से बताये
जाने की कृपा करें, तो महान् दया होगी। प्रार्थी

दिनांक:- 4-8-16 राजेश कुमार शुक्ल, सड०,
संलग्नक:- 10/-रु० प्रा०यो०आ० 17/161 विवेक नगर हमीरपुर,
मूल रूप में सं०- 34एफ -536640 जिला -हमीरपुर।उ०प्र०।
890533

डाक्टर हमीरपुर । उ०प्र०। 22.9.16
22.9.16

RK Shukla
23/9/16

F.S.O (RTI)
28/9/16

12/8/16

10
12/8/16

सेवा में,

श्रीमान् जनसूचना अधिकारी/ केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय,
भारत सरकार- नई दिल्ली।

विषय :- जन सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के अर्न्तगत सूचनायें
उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय अवगत कराना है कि प्रार्थी को आपके कार्यालय से सम्बन्धित सूचनाओं की सख्त आवश्यकता है जिनका विवरण निम्नलिखित है। अधिनियम में वर्णित व्यवस्थानुसार शुल्क 10/-रु० का मा०प०आ० सं०-34एफ-536640 मूल रूप में संलग्न है:-

1- क्या एन०एच-86 पर माह जून/2016 शम्भुआ उभर के बनेप्लाई ओवर के पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण उस पर आवागमन कितने दिन तक बाधित रहा?

2- क्या उक्त पुल के क्षतिग्रस्त होने की अवधि के दौरान एन०एच-86 पर सजेती पर बने टोल टैक्स पर वाहनों से टोल टैक्स की वसूली की गयी?

3- क्या इस प्रकार से प्लाई ओवर या सड़क के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद टोल टैक्स वसूली किस नियम या कानून के अर्न्तगत की गयी है विवरण देने की कृपा करें।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी को उपरोक्त स बिन्दुओं पर 15 दिनों के अन्दर अविलम्ब सूचना देने की कृपा करें तथा अपने प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद व पता देने की लिखित रूप से बताये जाने की कृपा करें, तो महान् दया होगी।

दातांक:- 4-8-16
संलग्नक:- 10/-रु० मा०प०आ०
मूल रूप में सं०- 34एफ-536640
डाकघर हमीरपुर। उ०प०।

प्राथी
राजेश कुमार शुक्ल, एड०,
17/161 विवेक नगर हमीरपुर,
जिला -हमीरपुर। उ०प०।

(Signature)
12/8/16

FSO(RTI)
12/8/16
1193268/2016/C.R

RTI

1238

100 not ok

(Handwritten notes)



सेवा में,

श्री राजेश कुमार शुक्ल एड०
17/161 विवेक नगर हमीरपुर
जिला - हमीरपुर उत्तर प्रदेश

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री राजेश कुमार शुक्ल पवार से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनांक 04.08.2016 जो की इस मंत्रालय में दिनांक 12.08.2016 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सूचना मांगे जाने के संबंध में है।

2. इस संबंध में यह देखा गया है कि आपके द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि 'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, को देय 10 रु0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल आर्डर इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाद ही की जा सकती है। 10/- रु0 का IPO 34F 536640 इसके साथ वापस किया जा रहे हैं।

भवदीय

आर. एस. शर्मा

अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई)

भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया यह आदेश का मूल्य 10 रुपये है।

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS



PAY TO श्री. जयप्रकाश, अधिवक्ता
केंद्रीय साड़ों एक परिवार
महात्मा जगतजीवारा मठ
इस रूप में रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY



डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपये 1 RUPEE

SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

AT THE POST OFFICE AT

नई दिल्ली
के डाकघर में जारी करें।

श्री. जयप्रकाश, अधिवक्ता
121/61, विवेकानंद
हमीरपुर, जिला-हमीरपुर
पिनकोड- 309001

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

34F 536640

35 October 1961

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
TRANSPORT BHAVAN, 1 PARLIAMENT STREET
NEW DELHI - 110001

Receipt No. 4629

Dated 29/16

Received RTI Application dated.....

from Sh. Smt. / Mr. राजेश कुमार शर्मा

along with application fee of Rs. 10/- (Rupees Ten
Only) / Fee of Rs. _____ (Rupees _____

only) for providing information under RTI Act 2005 in

Cash / Demand Draft / Cheque / IPO No. ✓ 36F 890533

Dated


Signature / Receipt Official (IFC)